भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 461
दिनांक 09 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

वैश्विक क्षुधा सूचकांक

461. श्री ए. राजा:
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्री सु. थिरुनवुक्करासर:
श्री रवनीत सिंह:
श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री विनसेंट एच. पाला:
श्री रघु राम कृष्ण राजू:
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोप के एनजीओ कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुगरहिल्फ़े द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक क्षुधा सूचकांक (जीएच) 2022 में भारत 121 देशों में छह स्थान नीचे खिसक कर 107वें स्थान पर आ गया है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त रैंक के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से देश में कुपोषण का स्तर बढ़ रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बच्चों के पोषण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,
(ग) 2018 से पीएम-पोषण योजना के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार देश में कुपोषण से निपटने के लिए कोई नई योजना शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा वैश्विक क्षुधा सूचकांक में देश की स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन-कौन से अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ड.) : कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुगरहिल्फ़े द्वारा जारी किए गए वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार 29.1 के स्कोर के साथ भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत 27.5 के स्कोर के साथ 116 देशों में 101वें स्थान पर था।

वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) भारत की सही स्थिति को नहीं दर्शाता है क्योंकि यह भूख का दोषपूर्ण मापदंड है। इसे अंकित मूल्य पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह न तो उपयुक्त है और न ही किसी देश में विद्यमान भूख का प्रतिनिधित्व करता है। इसके चार संकेतकों में से केवल एक संकेतक अर्थात अल्पपोषण भूख से सीधे संबंधित है। दो संकेतक अर्थात ठिगनापन और दुबलापन विभिन्न अन्य कारकों जैसे कि स्वच्छता, जनेटिक्स, पर्यावरण तथा भूख के अलावा खाद्य पदार्थों के उपयोग की

जटिल अंत:क्रियाओं के परिणाम हैं जिसे जीएचआई में ठिगनेपन और दुबलेपन के कारण/परिणामी कारक के रूप में लिया गया है। इसके अलावा, इस बात का शायद ही कोई साक्ष्य हो कि चौथा संकेतक अर्थात बाल मृत्यु भूख का परिणाम है।

देश में पोषण के संकेतकों पर आंकड़े स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण(एनएफएचएस) के तहत आवधिक आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। एनएफएचएस-5 (2019-21) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए पोषण के संकेतकों में एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में सुधार हुआ है। ठिगनापन 38.4% से घटकर 35.5% हो गया है, दुबलापन 21% से घटकर 19.3% हो गया है और अल्पवज़न की दर 35.8% से घटकर 32.1% हो गई है।

सरकार ने कुपोषण की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी है और देश में बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। तालमेलयुक्त और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया जो सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इसके अलावा, विभिन्न नीतिगत और प्रणालीगत आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए कार्यक्रम ही डिज़ाईन, कार्यान्वयन प्रक्रिया, परिणाम और प्रभाव के संबंध में और अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में कार्यक्रम की प्रासंगिकता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए समेकित बाल विकास स्कीम और आंगनवाड़ी सेवा स्कीम का पुनर्मूल्यांकन किया गया। आंगनवाड़ी सेवा के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम, किशोरियों के लिए स्कीम और पोषण अभियान के तहत प्रयासों को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में पुन:संरेखित किया गया है ताकि पोषण के परिणाम अधिकतम हो सकें।

पोषण 2.0 के तहत आहार में विविधता, खाद्य सुदृढ़ीकरण, ज्ञान की परंपरागत पद्धतियों के उपयोग तथा बाजरे के उपयोग को लोकप्रिय बनाने पर बल दिया जाता है। पोषण 2.0 के तहत पोषण जागरुकता की रणनीतियों का उद्देश्य आहारीय अंतराल को पाटने के लिए क्षेत्रीय भोजन योजनाओं के माध्यम से स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण का विकास करना है। अनन्य रूप से स्तनपान, पूरक आहार, विकास की निगरानी, डायरिया की रोकथाम, साफ-सफाई, पानी और स्वच्छता, एनीमिया की रोकथाम, सामुदायिक स्तर पर स्थानीय सब्जियों, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों और फलों की खेती के लिए पोषण वाटिकाओं के महत्व पर फोकस के साथ अनेक हितधारकों में अभिसरित कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए जन आंदोलन की रणनीति विकसित की गई है। पोषण अभियान मातृत्व, शिशु और छोटे बच्चों की पोषण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए होम विज़िट पर अधिक बल देते हुए लक्षित होम विज़िट, सामुदाय आधारित कार्यक्रमों और विकास की निगरानी के लिए एक मजबूत प्लेटफार्म प्रदान करता है।

भारत सरकार ने 2024 तक चरणबद्ध ढंग से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली(टीपीडीएस), समेकित बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस), प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (तत्कालीन मध्याह्न भोजन योजना) और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों के माध्यम से सुदृढ़ीकृत चावल की आपूर्ति के लिए मंजूरी प्रदान की। इस चरण के दौरान आईसीडीएस और पीएम पोषण के तहत वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगलग 17.51 लाख मीट्रिक टन सुदृढ़ीकृत चावल उठाया गया है। वर्तमान में चरण-II (2022-23) का कार्यान्वयन अप्रैल, 2022 से प्रगति पर है जिसमें चरण-I + 112 आकांक्षी जिलों में टीपीडीएस और ओडब्ल्यूएस तथा ठिगनेपन पर अधिक भार वाले 250 जिले (कुल 291 जिले) शामिल हैं। 13.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार आईसीडीएस और पीएम पोषण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगलग 16.79 लाख मीट्रिक टन सुदृढ़ीकृत चावल उठाया गया है। 13.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगलग 250 आकांक्षी और अधिक भार वाले जिलों द्वारा टीपीडीएस के तहत सुदृढ़ीकृत चावल उठाया गया है और अब तक लगभग 22.62 लाख मीट्रिक टन सुदृढ़ीकृत चावल का वितरण किया गया है। चरण-III (2023-24) के कार्यान्वयन में मार्च 2024 तक चरण-II तथा देश के शेष जिले शामिल होंगे।

पीएम पोषण योजना के तहत जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय सहायता (रुपये करोड़ में)					
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (6.12.2022 तक)
1	आंध्र प्रदेश	257.14	257.48	285.64	375.10	357.31	208.72
2	अरुणाचल प्रदेश	25.52	25.06	23.68	29.18	29.69	0.00
3	असम	529.03	519.82	553.26	757.04	615.70	561.97
4	बिहार	978.72	1124.49	1093.13	1392.48	1030.16	763.99
5	छत्तीसगढ़	276.83	320.86	254.89	380.81	213.15	225.24
6	गोवा	12.31	13.09	12.76	17.09	6.68	7.95
7	गुजरात	404.30	423.52	392.87	528.72	507.06	265.93
8	हरियाणा	99.54	132.19	108.90	155.73	101.63	72.87
9	हिमाचल प्रदेश	86.84	80.21	75.58	105.00	62.90	51.62
10	जम्मू और कश्मीर	63.29	106.66	26.66	159.60	122.22	0.00
11	झारखंड	303.33	332.43	323.11	352.04	251.89	168.09
12	कर्नाटक	447.89	407.08	520.57	515.54	488.34	341.76
13	केरल	329.78	198.57	199.62	276.89	184.82	167.38
14	मध्य प्रदेश	580.99	561.92	504.08	827.55	472.20	362.85
15	महाराष्ट्र	803.11	981.85	994.69	1002.50	490.75	639.76
16	मणिपुर	24.80	20.51	21.92	39.00	16.79	0.00
17	मेघालय	64.87	77.34	78.36	87.34	85.65	47.96
18	मिजोरम	20.18	18.89	20.48	23.13	8.93	19.97
19	नागालैंड	17.76	28.62	22.79	27.44	14.73	22.19
20	ओडिशा	419.27	395.57	403.59	583.01	482.09	279.95
21	पंजाब	143.31	152.50	138.56	217.69	191.46	100.00
22	राजस्थान	411.07	420.43	472.53	711.00	531.06	393.94
23	सिक्किम	8.81	8.81	8.17	8.41	5.01	8.29
24	तमिलनाडु	425.06	420.55	431.21	492.22	232.65	250.27
25	तेलंगाना	154.95	157.57	188.21	45.24	43.35	81.36
26	त्रिपुरा	51.19	53.39	55.99	62.21	77.19	30.47
27	उत्तराखंड	97.14	94.78	102.73	130.24	124.78	50.12
28	उत्तर प्रदेश	1004.75	1127.72	1182.02	2071.66	1998.06	700.11
29	पश्चिम बंगाल	971.46	917.10	1071.03	1343.31	1394.12	842.37
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.89	5.85	7.55	6.49	5.40	0.00
31	चंडीगढ़	6.69	10.63	8.84	13.39	17.22	10.20
32	दादर और नगर हवेली	5.38	9.33	5.73	13.08	12.21	7.22
	दमन और दीव	3.32	3.04	2.58			
33	दिल्ली	52.95	98.08	103.20	112.97	44.04	74.29
34	लक्षद्वीप	1.18	1.25	0.99	0.33	0.00	0.00
35	लद्दाख	0.00	0.00	1.22	5.56	3.77	2.01
36	पुद्दुचेरी	4.02	5.16	2.90	5.03	3.73	0.00
कुल		**9090.68**	**9512.35**	**9700.04**	**12874.01**	**10226.75**	**6758.85**

*****